जयपुर पुलिस में फिर फेरबदल

जयपुर। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में पुलिस निरीक्षकों के तबादलों को लेकर शनिवार को एक बार फिर आदेश जारी किए गए। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने 15 जुलाई 2026 को जारी तबादला सूची (आदेश क्रमांक-8876) में आंशिक संशोधन करते हुए चार पुलिस निरीक्षकों को नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। वहीं चार निरीक्षकों के स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं।

जारी आदेश के अनुसार वंदना नरूला, जिन्हें पूर्व में सेज थाना, जयपुर पश्चिम के लिए स्थानांतरित किया गया था, अब थानाधिकारी सिंधी कैंप नियुक्त की गई हैं।

मुख्यमंत्री ने लिया साइबर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया

शिकायत दर्ज होने से लेकर उसे संबंधित थाना एवं बैंक तक भेजने (डिस्पैच) की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली

जयपुर (कासं)। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर अपराध नियंत्रण को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने और इसके लिए आवश्यक सभी सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

वहीं बैठक से पहले मुख्यमंत्री ने आर-4-सी (राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर) का निरीक्षण किया और साइबर अपराध रोकथाम के लिए विकसित तकनीकी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोल रूम 1930 की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा तथा स्वयं हेल्पलाइन पर आए एक पीड़ित की शिकायत सुनी।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को पुलिस मुख्यालय पहुंचकर साइबर क्राइम कंट्रोल रूम 1930 की कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा तथा स्वयं हैल्पलाइन पर आए पीड़ित की शिकायत भी सुनी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से शिकायत दर्ज होने से लेकर उसे संबंधित थाना एवं बैंक तक भेजने (डिस्पैच) की पूरी प्रक्रिया की बारीकी से जानकारी ली। उन्होंने साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर के लाइव डैशबोर्ड का भी अवलोकन कर साइबर अपराधों की मॉनिटरिंग, शिकायतों के निस्तारण और तकनीकी निगरानी व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में साइबर अपराधों की रोकथाम, त्वरित कार्रवाई और तकनीकी क्षमता बढ़ाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव अखिल अरोड़ा सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

पूर्व स्पीकर सुमित्रा सिंह से मिलने पहुंची वसुंधरा राजे

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे शनिवार को अस्वस्थ चल रही 97 वर्षीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह की मिजाजपुर्सी करने उनके सी-स्कीम स्थित निवास पर पहुंची तो दोनों के बीच पुरानी स्मृतियों को लेकर लंबी चर्चा हुई।वहाँ उपस्थित लोगों के बीच पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सिंह ने कहा कि वसुन्धरा का कार्यकाल नारी शक्ति को समर्पित रहा, जो कई मायनों में याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इनके 2003 से 2008 के कार्यकाल में राजस्थान में तीन देवियां पहली बार प्रदेश के सर्वोच्च पदों पर आसीन थी। गत 8 दिसंबर 2003 को वसुन्धरा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। मुझे भी इन्होंने 20 जनवरी 2004 को प्रदेश की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बनने का गौरव प्रदान किया। उसी कालखंड में 8 नवंबर 2004 को राजस्थान में पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी।

त्रिवेणी संगम का ये दुर्लभ और सुखद संयोग था,जो अन्य किसी भी प्रदेश में आज तक देखने को नहीं मिला। उन्होंने कहा कि इसीलिए महिलाओं की तरक्की के लिए उस वक्त महिलाओं को परिवार का मुखिया बनाने वाली दुनिया में पहली भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना, महिलाओं को पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में 50 फीसदी आरक्षण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूटी-साइकिल योजना जैसे कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए,जो देश के लिए उदाहरण बने। राजे ने ईश्वर से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने शनिवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह के सी-स्कीम स्थित आवास पर पहुंचकर कुशलक्षेम पूछी।

पुलिस कमिश्नर ने सुनी समस्याएं

जयपुर । आमजन की शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने शनिवार को पुलिस थाना प्रताप नगर में जनसुनवाई की। इस दौरान सांगानेर सर्किल के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों की परिवेदनाएं सुनकर कई मामलों में मौके पर ही राहत दिलाई गई। साथ ही, शेष प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जनसुनवाई में प्रताप नगर, सांगानेर, मालपुरा गेट और रामनगरिया थाना क्षेत्रों से आए परिवादियों ने अपनी बात सीधे पुलिस आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कीं। प्रत्येक परिवाद की गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मामले का निष्पक्ष, संवेदनशील और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा मकान संख्या -4-ट-8, हाउसिंग बोर्ड, नाहरी का नाका योजना, शास्त्री नगर, जयपुर, राजस्थान में स्थित है की परपीच्युअल डीड श्री लड्डू लाल पूत्र श्री मोहन लाल के नाम से दिनांक 30-07-1993 ईस्वी को जारी की गई जिसका पंजीयन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर द्वितीय द्वारा किया गया तथा उक्त मकान की Handing over the Possession दिनांक 27 अक्टूबर 1976 ईस्वी की श्री लड्डूलाल जी के पक्ष में जारी की गई। यह कि उक्त दोनों दस्तावेज कहीं खो गए हैं, जिसकी गुमशुदगी रिपोर्ट क्रमांक LR No. 3218389/2026 पर दिनांक 18 जुलाई 2026 ईस्वी को पुलिस में विक्रेता द्वारा दर्ज करा दी गयी है, उक्त सम्पत्ति पर मेरे अभिभाष्य कायनात सिद्दिकी पत्नी तारीख खान द्वारा उक्त श्री लड्डू लाल से क्रय करने हेतु बैंक में ऋण हेतु आवेदन किया है। उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उप पंजीयक कार्यालय एवं राजस्थान आवासन मण्डल से प्राप्त कर ली गई है, जिन्हे ही मूल दस्तावेज के समान माना जावेगा। यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त मूल दस्तावेज मिले या कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस के भीतर सम्पर्क करें।

अधिवक्ता सौरभ यादव, मोबाईल 7769877047

नाम परिवर्तन

मै अंजू यादव पत्नी क्रमांक 4200959M पति सत्यवीर सिंह यादव, मेरा नाम अंजू मेरे पति के आर्मी रिकॉर्ड में गलत तरीके से दर्ज है, आधार कार्ड के अनुसार मेरा सही नाम अंजू यादव है, शपथ पत्र 13 जुलाई 2026

I No 4199121P HAV BRAJ KISHOR My Father name is JAYVIR SINGH has been wrongly recorded in the military records. while according to the Aadhaar card the correct name is JAYVEER SINGH. Affidavit no is IN-AS50207248236722Y.

I No 4199121P HAV BRAJ KISHOR My Mother name is RAJWATI has been wrongly recorded in the military records. while according to the Aadhaar card the correct name is RAJVATI . Affidavit no is IN-AS50206825034197Y.

I Sanjeev Dhadda have changed my name Sanjeev Kumar Dhadda to Sanjeev Dhadda s/o Kusum Kumar Dhadda, Add- F-229, Surya Path, Janpath, Shyam Nagar sodala ,Jaipur 302019 (Raj) In Future I Will Be Known Sanjeev Dhadda

I have changed my name from Arvind Kumar to Arvind Kumar Agrawal for all future purposes. Address: Shop No. 5, Sector- 119, Shopping Centre, Agarwal Farm, Mansarovar, Jaipur- 302020

I, MONINDRA PATRA is legally father of No. 8037914Y Nk (GD) Dipankar Patra, Presently Residing at, Village Singti, Post: Guti, Teh: Seram pore, Police Station: Jangipara, Dist: Hooghly, State WB, PIN- 712408 have changed my name from MONINDRA PATRA to MANINDRANATH PATRA Vide affidavit No. CL734663 Date 06 June 2026

I have changed my name from Virendra Goyal to Virendra Kumar Goyal son of Sh. Gopal Dass Goyal. I will be known by this name in future. Address:- B-7,403 Hill View Appartment, Jhar Maajri (215), Dist.Solan,Himachal Pradesh - 174103.

I P no 211759 Y Ex POELP Kan singh nathawat S/O pabudan singh resident of Rajputo ka mohalla VPO kishanpura tehsil chomu jaipur that I want to change my father name in my service record from PABUDAN SINGH NATHAWAT To PABUDAN SINGH vide affidavit dated 10/7/26 before sub divisional officer chomu jaipur

I , No TA- 42181X Col Umrao Singh Rathore resident of 164, Pachewar House, Girnar Colony South, Gandhi Path Vaishali Nagar, Jaipur that I want to change my wife's name from MADHULIKA RATHORE to MADHULIKA SINGH RATHORE vide affidavit dated 13/7/26 before Sub Divisional Magistrate Jaipur City North

I army no 1296270K Ex Sep mool singh resident of plot no 14 jeen mata nagar vistar saini marg kalwar road jhotwara jaipur that I want to change name of my spouse from SAIR DEVI (DOB 2/5/1952)to SAR DEVI (DOB 15/10/1955)vide affidavit dated 16 july 2026 before Sub Divisional Magistrate Jaipur City North

प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखें : वी. श्रीनिवास

हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने

जयपुर (कासं)। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को उपयुक्त अस्पताल (सीएचसी, उपजिला अस्पताल, जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज) से मैप किया जाए तथा हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला की नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक हाई रिस्क प्रेग्नेंसी महिला को एक एएनएम के साथ निगरानी में रखे और आवश्यकता पर डॉक्टर को तुरंत दिखाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। वी.श्रीनिवास शनिवार को स्वास्थ्य भवन स्थित सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक-जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों को सम्बोधित कर रहे थे।

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने शनिवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएचओ, आरसीएचओ, पीएमओ, संयुक्त निदेशक-जोन, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों व अस्पताल के अधीक्षकों की बैठक ली।

- 'लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित करें'
- 'मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभागों के विशेषज्ञों को शामिल कर प्रति सप्ताह समीक्षा की जाए'

उन्होंने कहा कि लेबर रूम एवं ओटी के लिए जारी प्रोटोकॉल की पालना प्रतिदिन सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि हाई रिस्क गर्भवती महिला से जुड़ी एएनएम प्रति 3 दिन बाद व्यक्तिगत सम्पर्क करेगी।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक मातृ मृत्यु की समीक्षा संस्था स्तर पर एवं सामुदायिक स्तर पर रहे कारणों के साथ की जाए तथा अस्पतालों में बनाई गई मातृ मृत्यु ऑडिट कमेटी में विभिन्न विभागों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए भी समीक्षा की जाए। उन्होंने गर्भवती महिला को प्रसव पूर्व, दो बच्चों के अन्तर, एनीमिया तथा पूर्व प्रसव के दौरान होने वाली समस्याओं को ध्यान में रखते हुए गुड कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाई जाए।उन्होंने कहा कि प्रतिदिन अस्पतालों में ओटी, आईसीयू, लेबर रूम आदि की क्रियाशीलता, उनमें उपचारित मरीजों की संख्या सहित अन्य जानकारी की प्रतिदिन रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी मरीज की मृत्यु चिकित्सकीय लापरवाही से नहीं होनी चाहिए। उन्होंने गर्भवती महिलाओं के न्यूट्रिशन एवं सुरक्षित प्रसव के संबंध में स्त्री रोग विशेषज्ञों से चर्चा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सर्जन के रिक्त पदों को भरने के निर्देश दिए।

वी. श्रीनिवास ने बीकानेर, जोधपुर, कोटा, अजमेर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्यों, जनाना अस्पताल, महिला चिकित्सालय जयपुर, जनाना अस्पताल कोटा के विशेषज्ञों तथा झालावाडा जिले के सीएमएचओ से गर्भवती महिलाओं के उपचार में दी जा रही सुविधाओं, प्रोटोकॉल की पालना, ब्लड बैंक, आईसीयू, लेबर रूम, ओटी, प्रतिदिन होने वाले सामान्य प्रसव एवं सिजेरियन प्रसव, उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं के लक्षण सहित अन्य बिन्दुओं पर विस्तार से चर्चा की और सुझाव लिए।

मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि सरकारी चिकित्सा संस्थानों में प्रतिदिन होने वाले प्रसव, भर्ती गर्भवती महिलाओं की स्थिति, लेबर रूम, ओटी, बेड की उपलब्धता सहित अन्य जानकारियां स्टैंण्डर्ड फार्मेट में मंगवाया जाना सुनिश्चित करावें। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ ने कहा कि पूर्व में प्रोटोकॉल पालना से संबंधित दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं और विभाग द्वारा 15 जुलाई से 5 दिवसीय अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक गर्भवती महिला को ट्रेक कर स्क्रीनिंग की जा रही है। एएनएम, सीएचओ एवं आशा वर्कर को हाई रिस्क प्रेग्नेंसी वाली महिलाओं की विशेष मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विभाग द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।बैठक में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा बाबूलाल गोयल, निदेशक जनस्वास्थ्य डॉ. रवि प्रकाश शर्मा, अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम डॉ. टी.शुभमंगला, निदेशक आरसीएच डॉ. मधु रतेश्वर, आरएमएससीएल के कार्यकारी निदेशक जयसिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कार्यालय उपायुक्त झोटवाडा जोन नगर निगम, जयपुर
(शाहनगर-डी खिरणी फाटक, झोटवाडा, जयपुर)
क्रमांक:-एफ-3( )झो.जो./2026/357 दिनांक: 29.6.26

सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड संख्या 150 स्कीम नं. 1, प्रताप नगर, जयपुर (प्रताप नगर गृह निर्माण सहकारी समिति) श्री रोमी पाल पुत्र श्री के. जी. पाल के पक्ष में क्षेत्रफल 248.23 वर्गगज का कृषि भूमि रूपान्तरण जेडीए द्वारा पट्टा विलेख क्रमांक 55 दिनांक 20.05.1994 को जारी किया गया। रजिस्टर्ड दस्तावेजों के आधार पर आवेदक **श्रीमती सतवीन्दर कौर पत्नी श्री अजय कुमार त्यागी व श्री अजय कुमार त्यागी पुत्र श्री सुधीर कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का जिसका क्षेत्रफल 248.23 वर्गगज** का नाम हस्तानान्तरण याहा है।

श्रीमती सतवीन्दर कौर पत्नी श्री अजय कुमार त्यागी व श्री अजय कुमार त्यागी पुत्र श्री सुधीर कुमार के नाम से नाम हस्तानान्तरण पत्र जारी किये जाने बाबत् किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कम्पनी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय (उपायुक्त, झोटवाडा जोन) में प्रस्तुत करें, अन्यथा निर्धारित अवधि की समाधि के बाद नियमानुसार नाम हस्तानान्तरण जारी किये जाने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी।

उपायुक्त, झोटवाडा जोन, नगर निगम, जयपुर

उपायुक्त, झोटवाडा जोन, नगर निगम, जयपुर

अपील की सुनवाई के लिये नियत दिन की प्रत्यर्थी को सूचना
(आदेश 41 के नियम 14)
न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश क्रम 9, जयपुर महानगर द्वितीय
लक्ष्मीनारायण विरुद्ध राजस्थान सरकार वगैरह
सिविल नियमित अपील
अपील नं0 सन् 54/2017

सिविल न्यायाधीश पूर्व जयपुर महानगर के न्यायालय की तारीख 31.1.17 को निर्णय व डिक्री की अपील अपीलार्थी सं. 3 दामोदर प्रसाद हल्दिया के वारीसान
1. श्रीमती पुष्पा हल्दिया पत्नी स्व. श्री राजेन्द्र हल्दिया।
2. अभिषेक हल्दिया पुत्र स्व. श्री राजेन्द्र हल्दिया।
3. मीनल हल्दिया पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र हल्दिया।
4. रीकल पुत्री स्व. श्री राजेन्द्र हल्दिया।
5. महेन्द्र पुत्र स्व. श्री दामोदर प्रसाद हल्दिया।
6. वीरेन्द्र हल्दियाया पुत्र स्व. श्री दामोदर प्रसाद हल्दिया।
7. विजयलक्ष्मी पत्नी स्व. श्री सुरेन्द्र हल्दिया।
8. अंकित हल्दिया स्व. श्री सुरेन्द्र हल्दिया।
9. निखिल पुत्र स्व. श्री सुरेन्द्र हल्दिया।

समस्त निवासीगण हल्दिया भवन, गांधी नगर मोड, जयपुर।

आपको सूचना दी जाती है कि इस मामले में... की डिक्री की अपील वादीगण की डिक्री की द्वारा उपस्थित की गई है और इस न्यायालय में रजिस्टर कर ली गई है और इस अपील की सुनवाई के लिये इस न्यायालय द्वारा तारीख 27/7/26 नियत की गई है। यदि इस अपील में आपकी ओर से आप स्वयं या आपके प्लीडर या आपके लिये कार्य करने के लिये विधिना प्राधिकृत कोई व्यक्ति उपसंजात नहीं होगा तो यह आपकी अनुपस्थिति में सुनी और विनिश्चित की जावेगी।

यह आज तारीख... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वरिष्ठ रीडर
मोहर अदालत
अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश क्रम-9 जयपुर महानगर द्वितीय

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 689/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री अंकुर खण्डेलवाल, निवासी 171 ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेशन, सिरसी रोड़, जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मोहनलाल खण्डेलवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, 171 ऑफिसर्स कैम्पस एक्सटेशन, सिरसी रोड़, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 9.7.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 18.9.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 695/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्रीमती अंजू सोनी, निवासी 1206, जोशियों का मौहल्ला, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास TREASURELAND SPECIAL EDUCATION AND OCCUPATIONAL THERAPY CENTER, जोशियों का मौहल्ला, कालवाड रोड, झोटवाडा, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 9.7.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 18.9.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर 671/2026
(नाम वर्णन तथा निवास स्थान)

चूंकि श्री ब्रजेश कुलथिया, निवासी जोबनेर माता की गली, गोविन्दम पैलेस, पुरोहित पाडा, ब्रह्मपुरी, जयपुर राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास जेम्स एण्ड ज्वैलरी मैन्यूफेक्चरर एसोसिएशन ऑर्गनाईजेशन, 231 सैकेण्ड फ्लोर, सी के हाउस बिचून मार्केट के पीछे, बोरडी का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर राजस्थान के सम्बन्ध में जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।

अतएवं धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।

और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।

आज दिनांक 9.7.26 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।

आइदा तारीख पेशी 15.9.26

मोहर अदालत
सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग जयपुर

पेपर लीक और ओएमआर घोटाला दबाने में जुटी सरकार : जूली

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि प्रदेश के नौजवान की सबसे बड़ी पीड़ा पेपर लीक और अटकी हुई भर्तियां हैं।

युवा बरसों तक किराए के कमरों में रातें काटते हैं, माता-पिता खेत गिरवी रखकर फीस भरते हैं, और परीक्षा से ठीक पहले पेपर बाजार में बिक जाता है। यह सिर्फ नकल नहीं है, बल्कि करोड़ों युवाओं के सपनों की निर्मम हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेपरलीक और ओएमआर घोटाला दबाने में जुटी है।

जूली ने यह बातें शनिवार को जयपुर में आयोजित "छात्र संविधान संवाद" कार्यक्रम में कही। जूली ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 2022 में देश का सबसे सख्त कानून बनाया था, जिसमें लंबी सजा और संपत्ति जब्ती तक का कड़ा प्रावधान है।

रीको ने औद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रमिक आवास सुविधा का प्रावधान किया

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के औद्योगिक विकास एवं रोजगार सृजन के विजन को आगे बढ़ाते हुए रीको ने अपनी फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में आंशिक संशोधन किया है। इस संशोधन का उद्देश्य राज्य में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के साथ-साथ उद्योगों के लिए श्रमिक आवास सुविधा (वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी) की उपलब्धता सुनिश्चित करना है, जिससे उद्योगों को प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक मिल सकें और श्रमिकों को सुरक्षित एवं व्यवस्थित आवास फैक्ट्री के आसपास ही उपलब्ध हो सके। श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

- इस बदलाव के साथ श्रमिक आवास सुविधा के लिये भूमि का आवंटन ई-बिडिंग प्रक्रिया से लाइसेंस आधार पर 30 वर्ष करने का प्रावधान किया गया है। पारस्परिक सहमति और निगम द्वारा उचित समझे जाने पर इस अवधि को 20 वर्ष और बढ़ाया जा सकेगा।

प्रारंभिक बोली की आधार दर संबंधित औद्योगिक क्षेत्र की प्रचलित भूमि दर का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्धारित की गई है। किराया तिमाही आधार पर देय होगा तथा इसमें प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि होगी। इसके अलावा लंबी अवधि के आवंटन के लिए 2 वर्ष मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।

रीको द्वारा उद्यिमयों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फ्लेक्सिबल लैंड लीज एवं रेंटल पॉलिसी में समय-समय पर संशोधन किए गए हैं। इसी वर्ष नीति के अंतर्गत प्लग एंड प्ले, स्पोर्ट्स, ईवी चार्जिंग स्टेशन, नर्सरी, ग्रामीण हाट, मैरिज गार्डन तथा मसाला चौक जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। रीको के विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए अब इस नीति में वर्कर्स हाउसिंग फैसिलिटी को भी शामिल किया गया है जिसके लिये रीको औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड नियोजित किये जायेंगे।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय बजट 2024 में वित्त मंत्री द्वारा औद्योगिक श्रमिकों के लिए डॉर्मिटरी आधारित रेंटल हाउसिंग विकसित करने की घोषणा की गई थी। यह योजना पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की जाएगी तथा इसमें वायबिलिटी गैप फंडिंग का प्रावधान रहेगा।

रीको के प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला ने बताया कि प्रशिक्षित एवं स्थायी श्रमिक किसी भी औद्योगिक विकास की मजबूत नींव होते हैं, जो निवेश आकर्षित करने के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक आवास उपलब्ध होने से फैक्ट्रियों की उत्पादकता और श्रमिकों के स्थायित्व में वृद्धि होगी। उद्योगों को कुशल एवं नियमित कार्यबल उपलब्ध रहेगा तथा बड़े औद्योगिक निवेश और उत्पादन क्षमता को भी बढ़ावा मिलेगा।

बदमाश गिरफ्तार

जयपुर। विद्याधर नगर पुलिस ने विशेष अभियान के तहत 10 हजार रुपए के इनामी बदमाश जुबैर उर्फ इरफान उर्फ भूरिया निवासी विद्याधर नगर को गिरफ्तार किया है।

वांगचुक को लेकर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही कांग्रेस : मदन राठौड़

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस सोनम वांगचुक पर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रही है। किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर इंतजार करना और उस पर राजनीति करना, कांग्रेस का यह रवैया सही नहीं है। सरकार की पहली प्राथमिकता किसी भी नागरिक का जीवन बचाने की होती है, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे अस्पताल पहुंचाना पूरी तरह उचित निर्णय है। किसी की जान पर राजनीति करना विकृत मानसिकता का परिचायक है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि कुछ लोग चाहते थे कि वांगचुक का स्वास्थ्य और बिगड़ जाए, ताकि बाद में सरकार को घेरकर राजनीतिक लाभ लिया जा सके। उन्हें आमरण अनशन जैसा कदम उठाने से पहले गंभीरता से विचार करना चाहिए। किसी भी मांग पर चर्चा और बहस लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन किसी व्यक्ति का जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है।

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय
जे.एल.एन.मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
क्रमांक-2335 दिनांक-10/07/26

आम जाहिर सूचना राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश क्रमांक 807 दिनांक 03/04/1981 जारी कर आवास संख्या 3/छ/20 जवाहर नगर जयपुर, क्षेत्रफल 165.00 वर्ग गज का हस्तान्तरण विमला देवी पत्नी स्व. श्री भंवर सिंह के पक्ष में किया गया था। श्रीमती विमला देवी की मृत्यु दिनांक 04/06/2026 को हो जाने के कारण श्री संतोष कुमार पुत्र स्व.श्री भंवर सिंह के द्वारा आवेदन पत्र के साथ जमा प्रशासनिक शुल्क की रसीद की प्रति, शपथ पत्र, क्ष